संख्या-06/2026/09/001-78-01099-159-2022

प्रेषक

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 19-01-2026

विषय:- कानपुर में एसटीपीआई को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराये गए परिसर के मासिक किराये के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2025-26), दिनांक 02 जनवरी, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर में एसटीपीआई को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराये गए परिसर के मासिक किराये के भुगतान हेतु उपर्युक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित समग्र धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय महालेखाकार, उ0प्र0, निदेशक, उद्योग, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 स्वयं उत्तरदायी होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

(8) आंकड़ो की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ का होगा।

(9) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके उसे एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 व अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराना चाहेंगे।

(12) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852072020900 आई.टी. पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4, उ0प्र0, शासन।

12- वित्त(आय-व्यंयक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/आई0टी0 एवं इले0अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।

13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।